बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को योजना का लाभ से आच्छादित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन।

आवश्यक सूचना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की **71वीं संयुक्त** (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकमुश्त **रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये)** मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

अहर्त्ता/शर्तें

- अभ्यर्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष दिव्यांग होने चाहिए।
- अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रतिशत न्यूनतम 40 से या उससे अधिक होना चाहिए ।
- अभ्यर्थी को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 71 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
- अभ्यर्थी को पूर्व से किसी भी सरकारी/ लोक उपक्रम / राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार के पोर्टल **https://beebconline.bihar.gov.in/cspy/EBCscholarship/Index.aspx** पर Login कर अभ्यर्थी द्वारा **दिनांक-15.12.2025 से 14.01.2026** तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति या कोटि प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यू०डी०आई०डी०. आधार कार्ड एवं स्वयं के नाम से Active बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आई०एफ०एस०सी० स्पष्ट रूप से अंकित हो) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की स्कैन्ड Scanned प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी का आधार बैंक खाता से सीडेड (DBT के लिए) होना आवश्यक है। आधार सीडिंग बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम / राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत / नियोजित नहीं हैं तथा समाज कल्याण विभाग या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है, के संबंध में 1ª Class Judicial Magistrate or Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ पत्र की स्कैन्ड (Scanned) प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई-मेल आई०डी० होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई-मेल आई०डी० पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी ई-मेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यथी को अपनी ई-मेल नियमित रूप से देखने (चेक करने/अपडेटेड रहने) की अपेक्षा की जाती है।
- ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएँ सही-सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.01.2026 की रात्रि 11:00 बजे तक होगी।

विस्तृत जानकारी: https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए दूरभाष सं० **0612-2200125** पर संपर्क किया जा सकता है।

PR No.- 019502 (SWD)D. 2025-26